प्रति,
ममता बैनर्जी
मुख्य मंत्री,
पश्चिम बंगाल सरकार,
रायटर्स बिल्डिंग,
कोलकाता,
भारत- ७०० ००१

आपकी सरकार के द्वारा लोकतान्त्रिक अधिकारों के लिए लड़ रहे सात कार्यकर्ताओं की गिरफ़्तारी और उससे पहले नोनाडांगा बस्ती के निवासियों की ८ अप्रैल को रूबी जंक्शन पर गिरफ्तारी को लेकर हमें गहरी चिंता है। यह कार्यकर्ता कई वामपंथी संगठनों और जागरूक व्यक्तियों सहित एक शांतिपूर्वक धरने पर बैठे थे और ३० मार्च २०१२ को कोलकाता के नोनाडांगा नमक बस्ती से निकाले गए सैकड़ों निवासियों के पुनर्वास की मांग कर रहे थे। यह धरना शांतिपूर्वक था इस बात की पुष्टि अनेक मीडिया रिपोर्टों द्वारा की जा सकती है। इस लोकतान्त्रिक तरीके से हो रहे विरोध के प्रति आपकी पुलिस के रवैये को देख कर हम लोग क्षुब्ध हैं।

इस मुआमले में आपके पुलिस की हरकतें दमनकारी और भयावह नज़र आती हैं और एक अत्यंत खतरनाक तथा लोकतंत्र विरोधी संकेत देती हैं। ४ अप्रैल को आपकी पुलिस ने एक शांतिपूर्वक रैली पर लाठी-चार्ज किया और एक गर्भवती महिला को पीटा। ८ अप्रैल को आपकी पुलिस ने एक शांतिपूर्वक धरने पर हमला किया और ६९ लोगों को गिरफ्तार किया जिनमे दस साल से कम आयु के बच्चे भी शामिल थे। देबोलिना चक्रवर्ती, शमिक चक्रबर्ती, मानस चैटर्जी, देबजानी घोष, सिद्धार्थ गुप्ता, पार्थो सारथी राय, और अभिज्ञान सरकार नमक सात कार्यकर्ताओं पर गैर-जमानती आरोप लगा कर उनको कैद कर लिया। यही नहीं, ९ अप्रैल को आपकी पुलिस ने कोलकाता के विस्थापन-विरोधी आन्दोलन की एक और शांतिपूर्वक रैली पर हमला किया और ५० से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया।

यही नहीं, आपके वकीलों ने उन सात कार्यकर्ताओं पर अत्यंत अविश्वसनीय आरोप लगाये। सरकारी वकील के तर्क से यह मालूम होता है कि कोई भी शांतिपूर्वक और लोकतान्त्रिक विरोध सरकार को गिराने का षड़यंत्र मात्र हो सकता है। वकील के वक्तव्य से यह भी पता चलता है कि सिरकार हिरासत में रखे लोगों से "हथियार और बम जमा करने" के बारे में "जानकारी" प्राप्त करना चाहती है! यह हास्यास्पद और घिसा-पिटा आरोप कैदियों को यातना देने के सरकार के इरादे को छिपाता है और एक शिष्टोक्ति के अलावा और कुछ नहीं है। हमें डर है कि झूठे सबूत पेश किये जायेंगे और चिंताजनक बात यह है कि आपकी सरकार लोकतांत्रिक विरोध का कुटिल तरह से दमन करने में लगी है।

यह घटनाएँ हमें डा. बिनायक सेन के कुख्यात केस और ऐसे कई मुआमलों की याद दिलाती हैं जिनमे पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों ने बुद्धजिवियों और कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठे मुकदमे चलाये, उन्हें तंग किया और बदनाम करने की कोशिश की और उन्हें चुप करना चाहा। हम कड़ी से कड़ी ज़बान में सातों कार्यकर्ताओं की तुरंत रिहाई और उनके खिलाफ लगाये गए आरोपों को रद्द करने की मांग करते हैं। हम यह भी मांग करते हैं कि नोनाडांगा कालोनी से निकाले गए सारे लोगों का उचित पुनर्वसन हो और उन्हें उचित मुआवजा मिले। हमारी यह भी मांग है कि ४ अप्रैल को औरतों और बच्चों पर हुए बर्बर लाठी-चार्ज के लिए ज़िम्मेदार पुलिस अफसरों के खिलाफ तुरंत कार्यवाही हो। ये कैसी विडिम्बना है कि शिहरी गरीबों की वास्तविक समस्याओं को हल करने के बजाय आपकी सरकार ने उन जागरूक बुद्धजिवियों और कार्यकर्ताओं का दमन शुरू कर दिया है जो गरीब जनता के साथ खड़े हैं। अपने आप को गरीबों के पक्ष में कहने वाली सरकार के लिए यह अत्यंत लज्जास्पद बर्ताव है। तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल के लोगों के लिए "परिवर्तन" लाने का वचन दिया था। ऐसा मालूम होता है कि यह बदलाव सिर्फ सत्ता बदलने तक ही सीमित था, बाकी सारी परिस्थितियाँ ज्यों कि त्यों हैं। पर अगर यह सरकार बदलाव के अपने वादे पूरे नहीं करती तो इसका हाल भी अपने पहले की सरकार जैसा ही होगा।

घटनाक्रम के लिए टाइम्स आफ इण्डिया के यह लेख देखें:

*** Mar 31 : Nonadanga slum dwellers evicted
*** Apr 5 : Lathicharge on protesters, including a pregnant woman and and infant
*** Apr 6 : Firhad Hakim, West Bengal Urban Development Minister, asks for the list of evictees in Nonadanga
*** Apr 9 : A peaceful protest meeting and demonstration at Ruby junction is broken up by the police, and demonstrators arrested; 7 activists are detained
*** Apr 10 : Arrest of people in College Square demonstration against Nonadanga eviction, persons detained earlier remanded to further custody, intellectuals come out against police brutality and arrest